कार्यालयः—मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 221 /3क(2)/अनि.स्था./2023—24/दिनांक 26/06/2023

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या—01, वर्ष 2018) की धारा—16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु तैयार की गयी पात्रता सूची में शासनादेश संख्या 01/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023, एवं शासनादेश संख्या 1613/XXIV-B-1/21-02(01)/2020/दिनांक 23 जुलाई 2021 द्वारा निर्गत निर्देशों तथा अधिनियम की धारा 17 (1)(ग) दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के प्राविधानानुसार गढ़वाल मण्डलान्तर्गत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या—10 में अंकित सुगम क्षेत्र के विद्यालय में अनिवार्य रूप से स्थानान्तरित किया जाता है।

शाखा—सामान्य									
क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	कुल दुर्गम की सेवा अवधि			स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
						वर्ष	माह	दिन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संगीता चौहान	गृह विज्ञान	रा0क0उ0मा0वि0 कैंथोली	जाखणीधार,	टिहरी	19	11	0	रा0इ0का0 केमरा केमर, भिलंगना, टिहरी
2	बबीता जयाडा	गृह विज्ञान	रा0इ0का0 राजगढी,	नौगाव	उत्तरकाशी	19	5	11	रा0इ0का0 डुण्डा, उत्तरकाशी

नोट उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश में महिला संवर्ग से सामान्य संवर्ग में स्थानान्तरित शिक्षकों का मूल संवर्ग सामान्य होने के कारण अनिवार्य स्थानान्तरण सामान्य संवर्ग में किया गया है।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम—2017 की धारा—22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः—

(1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात एक सप्ताह के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।

(2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी एवं वर्तमान विद्यालय से कार्यभार मुक्त न होने की दशा में माह जून का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। वेतन आहरित करने पर संस्थाध्यक्ष के विरूद्ध भी अधिनियम की धारा—24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (Journey Time)' का ही उपभोग कर सकेंगे।

(5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के पश्चात तीन दिवसों तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(6) उक्तांकिंत सूची में किसी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अनिवार्य स्थानान्तरण यदि टंकणीय त्रुटि से हो जाता है तो शासनादेशानुसार सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष कदापि सम्बन्धित शिक्षक को कार्यमुक्त न करें एवं किसी शिक्षक का अनिवार्य स्थानान्तरण अटल उत्कृष्ठ विद्यालय में होता है तो उसे कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें तथा तत्काल उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(7) यदि उक्त स्थानान्तरणों में दो शिक्षकों को एक ही विद्यालय में किसी एक ही विषय की रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी शिक्षक को कार्यभार ग्रहण न करायें तथा तत्काल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत करायें ताकि नियमानुसार सुधार किया जा सके।

(8) यदि उक्त स्थानान्तरणों में किसी शिक्षक का स्थानान्तरण मूल नियुक्ति संवर्ग के अतिरिक्त असंगत संवर्ग में हो तो ऐसी स्थिति में प्रमाणिक अभिलेखों सहित सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष तत्काल सूचना से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत करायें व किसी भी स्थिति में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण न करायें।

(9) उक्त स्थानान्तरण ई–पोर्टल में दी गयी सूचनाओं के आधार पर किये गये है यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के सम्बन्ध में कोई सूचना ई–पोर्टल में अंकित सूचना से भिन्न होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के संस्थाध्यक्ष/नियंत्रक इकाई (खण्ड शिक्षा अधिकारी) की होगी।

28/6/23

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./3420-32/3क(2)/अनि.स्था./2023–24/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5 अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने नियत्रणाधीन एस.सी.ई.आर.टी. व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश उपलब्ध कराने व वर्तमान संस्था से सम्बन्धित का वेतन आहरित न करने का कष्ट करें साथ ही कार्यभार मुक्त शिक्षकों की सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की वे अपने जनपदान्तर्गत स्थित विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को आदेश की प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्यो के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे व कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वाली शिक्षकों की सूचना दिनांक 05 जुलाई 2023 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
7 सम्बन्धित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) (एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से)
8 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
9 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
10 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों के आदेश की प्रति प्रधानाचार्यो को उपलब्ध कराते हुये सम्बन्धितों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करते हुये कार्यभार मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)
11 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तथा आदेश में उल्लिखित शर्तो का पालन करते हुए स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें व माह जून 2023 का वेतन वर्तमान विद्यालय से कदापि आहरित न किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिक संख्या–164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2018 के अनुपालन में जनपद हरिद्वार व देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षका को दुर्गम विद्यालय के 70 प्रतिशत शिक्षकों की उपलब्धता होने पर उन्हे कार्यमुक्त किया जाय। अन्यथा मा0 न्यायालय के आदेशों की अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।
12 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
13 सम्वन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (**www.schooleducation.uk.gov.in**) से भी प्राप्त कर सकते हैं एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
14 कार्यालय प्रति।

28/6/23

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।